Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 12, December - 2022 Publication Date: 31/12/2022

DOIs:10.2018/SS/202212010 --:-- Research Article

अवध के किसान आन्दोलन में 'सूरज प्रसाद उर्फ छोटा रामचंद्र' का योगदान

डॉ.मुनेन्द्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास एवं एशियन कल्चर विभाग, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ
Email - munder.singh@gmail.com

सारांश: किसानों का महत्व भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में रहा है, क्योकि किसानों के द्वारा दिये गये भूराजस्व के माध्यम से ही प्रत्येक काल के शासकों ने अपनी सत्ता को दृढता प्रदान की। ब्रिटिश शासन ने भी पूर्व शासकों की भाति भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात् सर्वप्रथम अपना ध्यान भूराजस्व प्रशासन पर केन्द्रित किया। उन्होने अधिक से अधिक भूराजस्व प्राप्त करने के लिये पहले से चली आ रही भूराजस्व व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन प्रारम्भ किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-*2* भूराजस्व व्यवस्था को लागू किया। इसी क्रम में सन् ***1793*** में बंगाल तथा बिहार में स्थायी बन्दोबस्त, सन् ***1802*** में मद्रास में रैयतवाडी़ बन्दोबस्त तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब में महालवाडी़ बन्दोबस्त को अपनाया। सन् ***1856*** में ब्रिटिश शासकों ने उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात् अवध में भूमि की तालुकेदारी व्यवस्था को लागू किया एजिसके परिणाम स्वरुप अवध क्षेत्र में व्यापक किसान विद्रोह हुआ। इस शोध पत्र का उद्देश्य किसानों के संघर्ष को रेखांकित करना है। इस शोध पत्र को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक के साथ द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है।

1. पृष्टभूमि :

भूस्वामियों के इन शोषणकारी कृत्यों मे नजराने की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी। जिसके अन्तर्गत किसानों को अपनी जोत भूमि प्राप्त कर उसपर अधिकार बनाये रखने के लिए ,भूस्वामियों को अदा की जाने वाली भूराजस्व की धनराशि के अतिरिक्त नजराने के रूप मे कुछ धनराशि और देनी होती थी। यदि कोई किसान सात वर्ष की अवधि पूरी होने तक अपनी जोत भूमि पर अधिकार रखने मे सफल हो भी जाता तो भी उसे अपने अधिकार को बनाये रखने के लिए फिर से भूमि का पट्टा करवाना पड़ता था। जिसके लिए बतौर नजराने उसे एक निश्चित धनराशि भूस्वामी को देनी होती थी। किसानों से ली जाने वाली नजराने की धनराशि की मात्रा प्रत्येक जिले मे भिन्न -भिन्न होती थी। जिससे यह प्रथा धनराशि की अनिश्चित मात्रा के कारण एक प्रकार की लूट के रूप मे विकसित हो रही थी।[1]

भूस्वामियों द्वारा किसानों के शोषण का एक अन्य माध्यम तत्कालीन समाज मे प्रचलित सवाक प्रथा थी। इस प्रथा के अन्तर्गत दलितवर्ग अनिश्चित काल के लिए भूस्वामियों के अधीन कार्य करते थे, अर्थात् जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी धनी किसान , भूस्वामी,बनिया या महाजन से बढ़े हुए लगान को अदा करने या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण स्वरूप धनराशि लेता था , तब या तो जीवनपर्यन्त या जब तक ऋण अदा नहीं कर देता था , उस समय तक के लिए वह उनके अधीन कृषि मजदूर के रूप मे कार्य करता था। बहराइच एवं गोंडा आदि क्षेत्रों मे सवाक प्रथा के दुष्परिणाम स्वरूप यदा-कदा ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है, जो अपने पिता के द्वारा लिए गये कर्जे के भुगतान के लिए स्वयं कर्जा देने वाले के अधीन रहकर उनके अनुसार बिना मजदूरी के कार्य कर रहे थे।[2]

तालुकेदारों द्वारा किसानों पर अन्याय की एक और तस्वीर मुर्दाफरोशी के रूप मे सामने आयी। जब किसी किसान की मृत्यु होती थी तो उसकी जमीन की नीलामी लगान की बढ़ी हुई दर के आधार पर कर दी जाती थी। जो व्यक्ति लगान की बढ़ी हुई दर पर सबसे अधिक राशि की बोली लगाता था , वही उस जमीन का भूस्वामी बन जाता था। मृत्यु के तुरन्त बाद होने वाली नीलामी के कारण इस प्रथा का नाम मुर्दाफरोशी पड़ा।[3] भूस्वामी किसानों की बेदखली और नजराने की धनराशि लेने से भी संतुष्ट नहीं थे। अतः वे समय के व्यतीत होते होते किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाने लगे। इनमे से कुछ अवध मे पहले से ही प्रचलित थे और कुछ करों की खोज तालुकेदारों ने अपने विलासितापूर्ण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप मे - एक जिले के बड़े जमीदार ने ग्रामोफोनिंग कर वसूला था क्योकि उसका पुत्र ग्रामोफोननुमा एक बाजा लेकर गांव मे घूमता फिरता था और गांव वालों ने उसमे बजने वाले गानों की आवाज सुनी थी।[4]

तालुकेदारों द्वारा लिए जाने वाले अन्य अवैध करों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। जिनका विस्तार से वर्णन आवश्यक है क्योकि इससे तालुकेदारों के वास्तविक रूप की पहचान होगी, जो कि एक शोषक व दमनकारी के नाम से जाना जाता है। वह किसानों के असंतोष को विद्रोह के रूप मे परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी था। इसी श्रृंखला मे आगे तालुकेदारों द्वारा लिया जाने वाला घोड़ावन कर आता था। जिसे तालुकेदार जागीर हेतु घोड़े खरीदने के लिए 2 आना प्रति रूपया या 2 आना प्रति बीघा की दर से अथवा एक बार मे 2 रूपये की राशि तय करते थे। कुछ जागीरों मे स्थिति यह हो गयी थी कि घोड़े का लाटरी टिकट खरीदने के लिए किसानों को बाध्य करना तालुकेदारों का नियमित कार्य बन गया था। बाध्यता की सीमा यहां तक थी कि किसान टिकट खरीदना चाहे या न चाहे, उसके पास घोड़ा रखने का सामथ्र्य हो या न हो, लेकिन उसे टिकट की कीमत आठ आना से 2 रूपया तक देकर घोड़े खरीदना होता था।[5]

प्रथम विश्वयुद्ध ने भारत की आर्थिक व राजनैतिक संरचना को प्रभावित किया था क्योंकि इसमें धन और खून दोनों की अबाध धारा बही थी। देश के किसान युवाओं को बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के फ्रांस और जर्मनी के समक्ष खड़ा कर दिया गया था। जिससे उनकी आजीविका कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वापसी के बाद एक ओर जहाँ उन नवनिर्मित सैनिकों के साथ अपरिचित सा व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी ओर तालुकेदारों व जमींदारों ने उनके परिवार से 'लड़ाई चंदा"[6]' के नाम पर धन की वसूली की। प्राकृतिक आपदा तथा औपनिवेशिक सत्ता की तालुकेदारी व्यवस्था के माध्यम से राजस्व उगाही के दोहरे प्रहार ने साधारण किसान परिवारों की सहनशक्ति को विद्रोह में परिवर्तित करने का कार्य किया। परिणामतः सन् 1920-21 के मध्य अवध के अनेक जिलों में स्वतः स्फूर्त किसान विद्रोह की आग धधक उठी। अवध की राजधानी 1760 से 1780 के मध्य फैजाबाद थी। इसकी कुल जनसंख्या 78921 थी।[7] अवध के अन्य जिलों की तुलना में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या यहाँ अधिक थी। जिसमें ज्यादातर निम्न जाति ;चमार जातिद्ध के लोग थे और वे जमींदारों की दया पर निर्भर थे। एक ओर अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जमींदारों व तालुकेदारों के यहाँ अन्न के भण्डार भरे हुए थे। इन परिस्थितियों के कारण लोगों में आक्रोश था।

2. प्रतिरोध व दमन :

लंदन के अखबार 'द कुरिअर' ने 24 जनवरी 1921 को तत्कालीन व्यवस्था व विद्रोह के सन्दर्भ में समाचार छापते हुए लिखा कि-संयुक्त प्रान्त परि और बिहार में किसान विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। किसान बाजार लूट रहे हैं। इस विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक है क्योंकि खाद्यान्नों के दाम आसमान छू रहे हैं। विद्रोह का व्यावहारिक कारण अवध के जमींदारों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। कानून व्यवस्था को नियन्त्रित करने में कठिनाई आ रही है। ब्रिटिश उपनिवेश के अन्तर्गत अवध क्षेत्र आते ही अंग्रेज अधिकारियों ने भू राजस्व कर का निर्धारण तीन वर्ष के लिए किया था।[8] समय बीतते अवध के रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ जिलों के 70 प्रतिशत गांवों में तालुकेदारी व्यवस्था लागू हो चुकी थी। लेकिन अवध के तालुकेदारों का व्यवहार स्थानीय किसानों के साथ अमानवीय ही रहा।[9] जिनमें किसान नेताओं ने शोषकों के विरुद्ध सामान्य किसानों को आन्दोलित कर अपने हक की आवाज उठायी। इनमें से एक थे सूरज प्रसाद उर्फ छोटा रामचन्द्र।

अपनी कृषि भूमि से बेदखल किये गये किसानों को उनकी भूमि का पुनः अधिकार दिलवाने का कार्य छोटा रामचन्द्र को अन्य किसान नेताओं से भिन्न करता है। सूरज प्रसाद ने अपने क्रान्तिकारी स्वभाव व ओजस्वी भाषणों के माध्यम से दलित जातियों को संगठित करने का कार्य किया जिससे किसान आन्दोलन की पृष्ठभूमि मजबूत होती गयी। सूरज प्रसाद के पिता गाँव नारायणपुर, थाना कोतवाली सुल्तानपुर के निवासी थे। सूरज प्रसाद को उर्दू का सामान्य ज्ञान था। बिवावा में सहायता प्राप्त स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य किया था। आगरा लुनैटिक असायलम नामक कम्पनी में गेटकीपर का कार्य करने के कुछ समय बाद वे कलकत्ता की किसी कम्पनी में नौकरी करने चले गये।[10] उसके पश्चात् वे सुल्तानपुर में जंगबहादुर नामक व्यक्ति के यहाँ निजी अध्यापक का कार्य करने लगे। 1918 तक वह किसानों के स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे और तालुकेदारों से निपटने के लिए लठैतों का एक गिरोह भी बनाया। प्रारम्भ में सशक्त तालुकेदारों ने सूरज प्रसाद को धमकाने का कार्य किया लेकिन बाद में तालुकेदार के. सी. प्रसाद सिंह की हिम्मत टूट गई और छोटा रामचन्द्र ने किसानों को संगठित करने के लिए गावों में सभायें करना प्रारम्भ कर दिया। उसके समूह में किसान व निम्न जातियों के हजारों लोग सम्मिलित हो गये। किसानों के प्रति रामचन्द्र के व्यवहार ने सूरज प्रसाद को किसानों का नेता बना दिया।[11] फैजाबाद में फैले किसान विद्रोह का नेतृत्व छोटा रामचन्द्र कर रहा था। इसकी जानकारी 1921 को कमिश्नर फैजाबाद की रिपोर्ट से मिलती है। जिसमें कहा गया कि फैजाबाद में किसानों के मध्य अत्यधिक असन्तोष है। किसान नेता बड़ी संख्या में भीड़ को एकत्रित करके पुलिस व थाने पर आक्रमण का निर्देश देते हैं। भीड़ पूरी तरह से नेताओं के नियन्त्रण में है। किसानों के भीड़ में कुछ तलवारें भी देखी गयीं। इस भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की आवश्यकता है।

एल. सी. पोर्टर संयुक्त प्रान्त के एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के मेम्बर ने 2 फरवरी 1921 को फैजाबाद के कमिश्नर को उत्तर देते हुए कहा " किसानों की वस्तुस्थिति से राज्यपाल को अवगत करा दिया गया है। तुम्हारी सहायता की जायेगी। फैजाबाद में सेना का मार्च कराने जा रहे हैं तुम्हें सम्भावित मार्गों का निर्धारण करना है। तत्पश्चात् पुलिस बल को बढ़ा दिया गया।"[12] किसानों को डराने के लिए सेना का रुट मार्च कराया गया जिसमें दो कम्पनी ब्रिटिश इन्फैन्टी, एक भारतीय कावलरी स्काड्रन और एक तोपखाना ईकाई का प्रयोग किया गया। इस सेना को लगभग 12 दिन फैजाबाद जिले के किसान प्रभावित क्षेत्र में और लगभग 7 दिन सुल्तानपुर

जिले में मार्च करना था। रुट मार्च के दौरान सेना उन्हीं गावों में अपना डेरा डालती थी जिन गावों में किसानों ने विद्रोह किया था और भिन्न-भिन्न स्थानों से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। 4 फरवरी 1931 को किसान नेता केदारनाथ व देवनारायण को गिरफ्तार किया गया। 22 फरवरी को दोस्तपुर और ताजूदीनपुर गाँव में सेना पहुँची। इन गावों में किसान विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया।[13]

29 जनवरी 1921 को जमींदारों के दबाव के फलस्वरुप सूरज प्रसाद व 17 अन्य किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें विशेष ट्र्न से फैजाबाद भेजा गया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हजारों किसान व निम्न जातियों के लोग गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास एकत्रित होने लगे। गोसाईगंज का कस्बा फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर पुलिस और किसानों के मध्य झड़प हुई। छोटा रामचन्द्र की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया में 1 फरवरी 1921 को फैजाबाद में किसान उपद्रव हुआ जिसमें कई किसान घायल हुए।[14] 29 फरवरी 1921 को फैजाबाद के कलेक्टर ने लिखा कि आज सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम रामचन्द्र है और जब उसे फैजाबाद ले जाया जा रहा था तो गोसाईगंज पुलिस रेलवे स्टेशन पर किसानों की भीड़ ने ट्रेन को रोक दिया। भीड़ फैजाबाद की पटरी पर जमा थी। भीड़ किसी भी स्थिति में वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। भीड़ अनुमानतः 5 हजार की रही होगी।[15]

छोटा रामचन्द्र की गिरफ्तारी रिचर्ड्स द्वारा की गयी। उसने भारी पुलिस बल के साथ सुबह 5 बजे रामचन्द्र को गिरफ्तार किया और उसे फैजाबाद जेल लाया गया। गोसाई गंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरु कर दी। इसलिए पुलिस ने गोली चला दी। जिससे कई लोग घायल हुए।[16] 2 फरवरी 1921 को मुख्य सचिव फैजाबाद ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया जिसमें कहा गया कि विद्रोह में शामिल सैनिक या पेंशनधारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव ने 30 जनवरी 1921 का पत्र फैजाबाद के कमिश्नर को भेजा जिसमें कहा गया कि तुमने छोटा रामचन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है।[17] सूरज प्रसाद उर्फ छोटा रामचन्द्र की लोकप्रियता व गरीब किसानों से जुड़ाव का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फैजाबाद के कमिश्नर को बिना सरकार की अनुमति के सेना बुलानी पड़ी। 31 जनवरी 1921 को कमिश्नर ने लिखा कि गोसाईगंज रेलवे स्टेशन की घटना से सेना की मदद लेने को बाध्य हुआ।[18]

3. उपसंहार :

इस प्रकार सूरज प्रसाद को कैद कर फैजाबाद के किसान विद्रोह को दबा दिया गया। सूरज प्रसाद ने गरीब समाज को संगठित कर जिस लड़ाई की शुरुआत की थी उससे प्रभावित होकर अवध में अन्य किसान नेता उभरे। सूरज प्रसाद के गिरफ्तार होने और सेना के आने से जमींदारों का आत्मविश्वास बढ़ गया। जमींदारों ने गरीब किसानों के विरुद्ध मुकदमें कराये और भारी संख्या में किसानों की गिरफ्तारियां हुईं। जेल में बन्द किसानों को यातनायें दी गयी जिसके परिणामस्वरुप कई किसानों की मृत्यु हो गयी।

सन्दर्भ सूची :

[1] मेहता रिपोर्ट, फा0 न0- 753/1920, रेवेन्यू 'ए' , यू0पी0एस0ए, लखनऊ, पृष्ठ सं-104
[2] कपिल कुमार, पीजेंट इन रिवोल्ट, मनोहर पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1991 पृष्ठ सं- 22
[3] मेहता रिपोर्ट , पहले उद्धृत , पृष्ठ सं-9
[4] कपिल कुमार, पहले उद्धृत, पृष्ठ सं-36
[5] मेहता रिपोर्ट, पहले उद्धृत, पृष्ठ सं-73
[6] कपिल कुमार, पृष्ठ सं-36
[7] गजेटियर ऑफ इंडिया ,फैजाबाद ,उत्तर प्रदेश,पृष्ठ सं. 74
[8] एच् .आर .लन्दन ,रियल स्टोरी ऑफ द तालुकेदार्स एंड टेनेट्स राईट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन अवध ,स्मिथ, 1865,पृष्ठ-3 4
[9] श्रीराम सिंह, रायबरेली किसान आन्दोलन की यज्ञ-भूमि, वीरेन्द्र प्रकाशन, सत्यनगर, रायबरेली, 1985, पृष्ठ-26
[10] वही पृष्ठ सं-26
[11] फाइल नं -50\1921, सामान्य शाखा, उत्तर प्रदेश, शासकीय अभिलेखागार ,लखनऊ,पृष्ठ -551
[12] वही
[13] द वेस्टर्न टाइम्स ,3 फरवरी ,१९२१
[14] फाइल नं -50\1921, सामान्य शाखा, उत्तर प्रदेश, शासकीय अभिलेखागार ,लखनऊ,पृष्ठ -575
[15] फाइल नं -50\ 3\1921, सामान्य शाखा, उत्तर प्रदेश, शासकीय अभिलेखागार ,लखनऊ,ए 29 जनवरी 1921 का पत्र
[16] वही पृष्ठ सं - 253
[17] वही पृष्ठ सं- 597
[18] द लीडर,30 जुलाई 1921 का पत्र